SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

(Regd Under the Indian Trust Act 1982 of the Govt. of India & Govt. of U.P.)
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Tehsil Road, Opp. Gali No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

National President
Adv. Nitin Yadav

Sr. National General Secretary
Prof. (Dr.) Anand Singh

National General Secretary
Prof. (Dr.) Rajeev Gupta

Sr. National Vice President
Prof. (Dr.) Nidhi Shukla

National Vice President
Prof. (Dr.) Anil Sharma

National Secretary/Treasurer
Prof. (Dr.) Anshu Bansal

State President
Adv. R.P. Khaitan (U.P.)
Dr. R.P. Verma (Punjab)
Adv. G.R. Sharvan (Karnataka)
Naved Chopra (M.P.)
Rajesh Wankhede (MH.)

Vice President (U.P.)
Prof. (Dr.) Shivpal Singh
Sharad Aggarwal
Ankur Tewatia

Secretary (U.P.)
Monika Chauhan
Dr. Ajay Kumar
Rajeev Chauhan
Dr. Anil Chandel
Mayank Aggarwal
Pradeep Yadav

Executive Board Member
Dr. Gaurav Varshney
Deepak Aggarwal
Prof. (Dr.) Harish Vaish
Dr. Shikha Kaushik
Dr. Vineeta Sharma
Vishal
Vipul Jain
Manoj Bhardwaj
Jitanshu
Manoj Bhati
Surendra Bhargav
Lalit Yadav

Ref. No:-2025/11/SFCF/132 **Date:-**17.11.2025

Regd. Post/By Hand

सेवा में,

1– कुलाधिपति चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ
द्वारा अपर मुख्य सचिव राजभवन लखनऊ।

2– प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ

विषय :– चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ में प्रबंध समिति चुनाव में स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए प्रशासन योजना (पीली किताब) नियम विरुद्ध लागू किये जाने एवं इसको समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप कृपया सादर अवगत हो की उपरोक्त विषयक में उल्लेखित चौधरी चरण सिंह विवि0 में केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के प्रबंध समिति चुनाव में प्रशासन योजना (पीली किताब) को नियम विरुद्ध लागू किया गया है जिसका प्रख्यापन ना तो कभी शासन के माध्यम से हुआ है और ना ही कोई शासनादेश एवं विवि0 अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है। इस संबंध में चौधरी चरण सिंह विवि0 को फेडरेशन ने अपने पत्र दिनाँक 03.10.2025 एवं अनुस्मारक दिनाँक 16.10.2025 के माध्यम से अवगत कराते हुए केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में की गयी इस नियम विरुद्ध व्यवस्था को समाप्त करने का अनुरोध किया है जो की आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण लंबित है। **उल्लेखित पत्रों की प्राप्तियाँ आपके सुलभ सन्दर्भ के लिए सलग्न है।**

प्रशासन योजना (पीली किताब) में जिस तरह की व्यवस्था है वो स्ववित्तपोषित संस्थानों में विवादों को जन्म देने वाली है और विवि0 अधिनियम इस प्रकार की किसी व्यवस्था को ना तो प्रतिपादित करता है और ना ही यह न्यायसंगत है साथ ही यह एकपक्षीय है जो की पूर्णरूप से स्ववित्तपोषित संस्थानों के अधिकार पर अतिक्रमण करने की व्यवस्था है। <u>सोसाइटी अधिनियम एवं ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार क्रमश 07 और 02 सदस्यों के साथ कोई भी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट का संचालन किया जा सकता है लेकिन प्रशासन योजना (पीली किताब) के माध्यम से विवि0 की यह व्यवस्था की किसी भी स्ववित्तपोषित संस्थान की सोसाइटी अथवा ट्रस्ट में न्यूनतम 31 सदस्य होंगे नियम विरुद्ध और अपनी प्रदत शक्तियों का दुरूपयोग है।</u>

17.11.25

Web : www.sfcf.in I Email : sfcf2023@gmail.com I Mob. 8954891289, 9412611801, 8909909174

Scanned with OKEN Scanner

चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ का दोहरा मापदंड यह है की यह व्यवस्था केवल पूर्णतया स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए है जबकि ऐसे संस्थान जो सहायता प्राप्त है और उनमे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित है उनमे इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है उन्हें पूर्णतया सहायता प्राप्त की भांति ही विवि द्वारा उपचार प्रदान किया जा रहा है जो की दर्शाता है की विवि0 दोहरे मापदंडो के आधार पर स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए अधिनियमों में वर्णित व्यवस्था के विपरीत जाकर नियम सृजित कर रहा है और इससे एक तरफ जहा संस्थानों में विवाद बढे है वही संस्थानों के शोषण का भी यह माध्यम बना है।

विवि0 से जनसुनवाई प्रणाली के माध्यम से प्राप्त जवाब 07.11.2025 में स्पष्ट कहा गया है की उक्त प्रशासन योजना (पीली किताब) विवि0 की कार्यपरिषद से अनुमोदित है और विवि0 स्तर पर कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। विवि0 की कार्यपरिषद को इस प्रकार से कोई अधिकार विवि0 अधिनियम में प्रदान नहीं किये गए है जो की इस प्रकार से सोसाइटी अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम एवं विवि0 अधिनियम का अतिक्रमण करते हुए प्रशासन योजना (पीली किताब) को केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में लागू करे। यह स्पष्ट दर्शाता है की विवि0 की कार्यपरिषद ने भी इस प्रकरण में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है और प्रदत शक्तियों का दुरूपयोग किया है।

श्रीमान जी, विवि0 द्वारा लागू प्रशासन योजना (पीली किताब) पूर्णतया सोसाइटी अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम एवं विवि0 अधिनियम में वर्णित व्यवस्था एवं शक्तियों का उल्लंघन है और कार्यपरिषद को इस प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं है की वो इस प्रकार की प्रशासन योजना को केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में संस्थानों पर लागू करे। आपसे अनुरोध है की कृपया विधि व्यवस्था और साक्ष्यों आलोक में न्याय की द्रष्टि से इस प्रशासन योजना (पीली किताब) को निरस्त करने की कृपा करे। इसके अतिरिक्त यह भी विनम्रता से अवगत कराना है की इस प्रकरण पर न्यायोचित कार्यवाही नहीं होने की दशा में "फेडरेशन" माननीय उच्च न्यायालय में जाने के लिए विवश होगी।

आदर सहित

सलग्नक – यथोक्त

प्रतिलिपि :–

1 – **कुलपति**, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ

2 – **कुलसचिव**, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ

(नितिन यादव)
अध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला
वरिष्ठ उपाध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
वरिष्ठ महासचिव

Scanned with OKEN Scanner

SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

(Regd Under the Indian Trust Act 1982 of the Govt. of India & Govt. of U.P.)

Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India

Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Tehsil Road, Opp. Gall No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

National President
Adv. Nitin Yadav

Sr. National General Secretary
Prof. (Dr.) Anand Singh

National General Secretary
Prof. (Dr.) Rajeev Gupta

Sr. National Vice President
Prof. (Dr.) Nidhi Shukla

National Vice President
Prof. (Dr.) Anil Sharma

National Secretary/Treasurer
Prof. (Dr.) Anshu Bansal

State President
Adv. R.P. Khaitan (U.P.)
Dr. R.P. Verma (Punjab)
Adv. G.R. Sharvan (Karnataka)
Naved Chopra (M.P.)
Rajesh Wankhede (MH.)

Vice President (U.P.)
Prof. (Dr.) Shivpal Singh
Sharad Aggarwal
Ankur Tewatia

Secretary (U.P.)
Monika Chauhan
Dr. Ajay Kumar
Rajeev Chauhan
Dr. Anil Chandel
Mayank Aggarwal
Pradeep Yadav

Executive Board Member
Dr. Gaurav Varshney
Deepak Aggarwal
Prof. (Dr.) Harish Vaish
Dr. Shikha Kaushik
Dr. Vineeta Sharma
Vishal
Vipul Jain
Manoj Bhardwaj
Jitanshu
Manoj Bhati
Surendra Bhargav
Lalit Yadav

Ref. No:-2025/10/SFCF/126

Date:-16-10-2025

अनुस्मारक प्रथम

सेवा में,

कुलपति जी,

चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

विषय :– प्रबंध समिति चुनाव में नियम विरुद्ध तरीके से लागू प्रशासन योजना को समाप्त किये जाने के सन्दर्भ में अनुस्मारक प्रथम।

महोदया,

आप कृपया फेडरेशन के पत्र दिनाँक 03.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो की आपके सुलभ संदर्भ के लिए सलग्न है। विवि0 के द्वारा स्ववित्तपोषित संस्थानों में लागू प्रशासन योजना पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध है और सोसाइटी एक्ट एवं ट्रस्ट एक्ट का अतिक्रमण है।

इस सन्दर्भ में आप अवगत होंगे ही की इस प्रकार से लागू कोई भी नियमावली राज्य सरकार के द्वारा माननीय राज्यपाल से प्रख्यापन किये जाने अथवा कैबिनेट में पारित विधिसम्मत प्रस्ताव के बाद ही अनुपालन में लायी जा सकती है जो की इस विषय में नहीं हुआ है। प्रशासन योजना के निहित प्रावधान पूर्णतया स्ववित्तपोषित संस्थानों का शोषण करने जैसा है और उनके अधिकारों पर यह सीधा अतिक्रमण है। विवि0 अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रतिपादित नहीं है जो केवल और केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए विवि0 प्रबंध समिति के चुनाव में प्रशासन योजना के माध्यम से लागू कर रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है की कृपया करके विवि0 द्वारा स्ववित्तपोषित संस्थानों के प्रबंध समिति चुनाव में लागू प्रशासन योजना को सोसाइटी एक्ट एवं ट्रस्ट एक्ट

Web : www.sfcf.in | Email : sfcf2023@gmail.com | Mob. 8954891289, 9412611801, 8909909174

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

के आलोक एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निक्षेपित करने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि :–

1 – कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

(नितिन यादव)
अध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला
वरिष्ठ उपाध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
वरिष्ठ महासचिव

SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION SFCF

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (फेडरेशन)

(Regd Under the Indian Trust Act 1982 of the Govt. of India & Govt. of U.P.)
Regd. In Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Tehsil Road, Opp. Gali No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

National President
Adv. Nitin Yadav

Sr. National General Secretary
Prof. (Dr.) Anand Singh

National General Secretary
Prof. (Dr.) Rajeev Gupta

Sr. National Vice President
Prof. (Dr.) Nidhi Shukla

National Vice President
Prof. (Dr.) Anil Sharma

National Secretary/Treasurer
Prof. (Dr.) Anshu Bansal

State President
Adv. R.P. Khaitan (U.P.)
Dr. R.P. Verma (Punjab)
Adv. G.R. Sharvan (Karnataka)
Naved Chopra (M.P.)
Rajesh Wankhede (MH)

Vice President (U.P.)
Prof. (Dr.) Shivpal Singh
Sharad Aggarwal
Ankur Tewatia

Secretary (U.P.)
Monika Chauhan
Dr. Ajay Kumar
Rajeev Chauhan
Dr. Anil Chandel
Mayank Aggarwal
Pradeep Yadav

Executive Board Member
Dr. Gaurav Varshney
Deepak Aggarwal
Prof. (Dr.) Harish Vaish
Dr. Shikha Kaushik
Dr. Vineeta Sharma
Vishal
Vipul Jain
Manoj Bhardwaj
Utanshu
Manoj Bhati
Surendra Bhargav
Lalit Yadav

Ref. No:-2025/10/SFCF/120 **Date:-03-10-2025**

सेवा में,

1/–माननीय कुलपति जी, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

2/– श्रीमान कुलसचिव जी, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

विषय :– प्रबंध समिति चुनाव में केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में बाध्य की गई विवि0 की प्रशासन योजना को नियम विरुद्ध होने के कारण समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप कृपया अवगत हो की विवि0 द्वारा सभी स्ववित्तपोषित संस्थानों में होने वाले प्रबंध समिति के चुनाव में प्रशासन योजना को लागू किया गया है जो की पूर्णतया नियम विरुद्ध और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 एवं भारतीय न्यास अधिनियम का अतिक्रमण है। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अनुसार किसी भी सोसाइटी के गठन के लिए न्यूनतम 07 पदाधिकारी/सदस्य एवं भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार किसी भी न्यास (ट्रस्ट) के गठन के लिए 02 पदाधिकारी/सदस्य की आवश्यकता है। <u>विवि0 की प्रशासन योजना के बिंदु संख्या 03 में साधारण सभा के लिए निर्धारित मापदंड उल्लेखित अधिनियमों का अतिक्रमण करते है और यह विधि विरुद्ध है।</u> प्रशासन योजना के अनुसार सोसाइटी/ट्रस्ट की साधारण सभा में न्यूनतम 31 सदस्यों की बाध्यता की जाती है जो की महाविद्यालयों में अनावश्यक रूप से प्रबंध समिति में वाद विवाद को जन्म देने वाली व्यवस्था है साथ ही सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 एवं भारतीय न्यास अधिनियम का पूर्णतया अतिक्रमण है जो की विवि0 के अधिकार क्षेत्र से बहार है।

<u>विवि0 द्वारा प्रबंध समिति चुनावो में लागू प्रशासन योजना ना तो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश से प्रख्यापित है और ना ही समान रूप से कभी भी समस्त महाविद्यालयों के लिए लागू की गयी है।</u> प्रबंध समिति के दायित्व एवं क्रियान्वयन अनुदानित, राजकीय महाविद्यालयों में भी उसी

Web : www.sfcf.in | Email : sfcf2023@gmail.com | Mob. 8954891289, 9412611801, 8909909174

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

तरह से है जिस तरह से स्ववित्तपोषित संस्थानों में है लेकिन विवि० ने कार्यपरिषद से 20 जुलाई 2013 के मद संख्या 14 में प्रशासन योजना को अनुमोदित कराकर पत्र संख्या सम्बद्धता/1636 दिनाँक 31.07.2013 को परिपत्र जारी करते हुए जिस तरह से केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में लागू किया यह विवि० के संबंधितो द्वारा अपनी शक्तियों एवं प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग है। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 एवं भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम पदाधिकारी/सदस्यों की संख्या को विस्तृत करने के लिए विवि० बाध्य नहीं कर सकता है जो की उसके द्वारा प्रशासन योजना के माध्यम से किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य विवि० अधिनियम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की प्रशासन योजना जो की केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में लागू की जा रही है को प्रोत्साहन प्रदान नही करता है। विवि० की प्रशासन योजना विवादों को जन्म देने वाली और स्ववित्तपोषित संस्थानों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाली है। प्रदेश में प्रबंध समितियों में होने वाले विवादों और उससे जन्म ले रहे न्यायिक विवादों को देखते हुए निजी इण्टरमीडिएट कॉलेजो में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 13 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी करते हुए प्रशासन योजना को रद्द करते हुए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 एवं भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी एवं ट्रस्ट की साधारण सभा की समिति द्वारा संचालन करने के आदेश निर्गत कर दिए गए है। शासन का भी स्पष्ट मत है की इस प्रकार की प्रशासन योजना और उससे होने वाले प्रबंध समिति के चुनाव विवादों को जन्म देते है और कुशल संचालन में बाधा उत्पन्न करते है।

श्रीमान जी, विवि० द्वारा स्ववित्तपोषित संस्थानों में लागू प्रशासन योजना पुर्णतया सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 एवं भारतीय न्यास अधिनियम का अतिक्रमण है और प्रख्यापित नहीं है जिससे यह संस्थानों में लागू किये जाने योग्य नहीं है। इस क्रम में आपसे अनुरोध है की कृपया करके नियम विरुद्ध लागू प्रशासन योजना एवं उसके आलोक में हो रहे प्रबंध समिति चुनाव को समाप्त करने की कृपा करे।

(नितिन यादव) — अध्यक्ष

प्रो० (डॉ०) निधि शुक्ला — वरिष्ठ उपाध्यक्ष

प्रो० (डॉ०) आनन्द सिंह) — वरिष्ठ महासचिव

पत्र फेडरेशन की अधिकृत वेबसाइट www.sfcf.in पर SFCF Desk में भी अपलोड है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner